07-02-24 वादी मय वकील वादी ने हाजिर होकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र से निवेदन किया कि प्रकरण में राजीनामा होने पर कोई कार्यवाही नहीं चाहता है नोट प्रेस के आधार पर खारिज करवाना चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करके वाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

not press
निरधारी लाल
identified
[illegible]